बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना संख्या– प्र0 / विविध–24 / 2015 (II) 11 पटना, दिनांक– 18/10/2022

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत प्रदाय से संबंधित उपाय) विनियम, 2010, समय समय पर यथा संशोधित के विनियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से इसके द्वारा, अधिसूचित करती है कि,–

(i) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली उत्पादक इकाईयों सहित उत्पादक ईकाइयों के 1 एम.भी.ए. से अधिक क्षमता वाले सभी यंत्रों का ऊर्जान्वयन बिना विद्युत निरीक्षक के निरीक्षण के नहीं किया जा सकेगा, जिसकी सूचना स्वामी द्वारा 30 दिन पूर्व दी जाएगी ;

(ii) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली उत्पादक इकाईयों सहित उत्पादक ईकाइयों के 200 के.भी.ए. से उपर एवं 1 एम.भी.ए. तक की क्षमता वाली सभी ईकाईयों को स्वामी द्वारा चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजिनियर की सहायता से स्वः–प्रमाणित या विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जैसा कि स्वामी द्वारा यह विकल्प चुना जा सकता है ;

(iii) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली उत्पादक इकाईयों सहित उत्पादक ईकाइयों के 200 के.भी.ए. तक की क्षमता वाली सभी ईकाईयों को स्वामी द्वारा स्वः–प्रमाणित या विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जैसा कि स्वामी द्वारा यह विकल्प चुना जा सकता है और ;

(iv) उपरोक्त खंड में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों के पास केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्त्ति से संबंधित उपाय) विनियमों, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित के तहत उचित कार्रवाई करने की शक्तियां होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,
ह० / –
प्रधान सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र0 / विविध–24 / 2015 (II) 3561 पटना, दिनांक 18/10/2022

प्रतिलिपि :– (1) मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना (2) मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार सरकार, पटना, (3) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली, (4) सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, (5) प्रधान सचिव के आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, पटना (6) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०, पटना, (7) प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कं० लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम/ निदेशक, ब्रेडा, पटना, (8) सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना, (9) अधीक्षक, प्रेस (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रण (10) वरीय विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, बिहार, पटना। कृपया इसे सभी अधीनस्थ कार्यालयों में प्रसारित करेंगें,(11) गार्ड फाईल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

प्रधान सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

GOVERNMENT OF BIHAR,
ENERGY DEPARTMENT

Notification No०प्र० / विविध–24 / 2015 (II) 11   Patna, Dated: - 18/10/2022

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by Regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time, the State Government, with immediate effect, hereby notifies, -

(i) that no electrical generating units, including those producing electrical energy from renewable sources of energy having capacity above 1 MVA without the inspection of the Electrical Inspector shall be energized and the owner shall give 30 days' notice of his intention to commission the units to the inspector;

(ii) that the generating units, including those producing electrical energy from renewable sources of energy having capacity above 200 KVA and upto 1MVA, shall be self-certified with assistance of Chartered Electrical Safety Engineer or certified by an Electrical Inspector as may be opted by the owner;

(iii) that the generating units, including those producing electrical energy from renewable sources of energy having capacity upto 200KVA, shall be self-certified or certified by an Electrical Inspector as may be opted by the owner; and

(iv) that notwithstanding anything contained in clause (i), (ii) and (iii) above, the Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors shall have the powers to take appropriate action under the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

By order of the Governor of Bihar,

Sd/-
Principal Secretary,
Energy Department,
Bihar, Patna.

Memo No. प्र0/विविध–24/2015 (II) 3561 Patna, Dated: - 18/10/2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action: -

1. Chief Secretary, Bihar, Patna
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar,
3. Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi,
4. Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi,
5. PS to Principal Secretary, Energy, Patna
6. Chairman-cum-Managing Director, Bihar State Power Holding Company Ltd., Vidyut Bhawan, Patna,
7. Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Ltd., Patna/ Managing Director, South Bihar Power Distribution Company Ltd., Patna/ Managing Director, Bihar State Power Transmission Company Ltd., Patna/ Managing Director, Bihar State Power Generating Company Ltd., Patna/ Managing Director, Bihar State Hydroelectric Corporation, Patna/ Director, Bihar Renewable Energy Development Agency, Patna,
8. Secretary, Bihar Electricity Regulatory Commission, Patna,
9. Superintending, Bihar Govt. Press, Patna with a request kindly to get it published in extra ordinary gazette of Bihar Rajpatra.
10. Sr. Electrical Inspector, Electrical Inspectorate, Bihar, Patna. Kindly circulate it to all subordinate offices,
11. Guard File.

By order of the Governor of Bihar,

17/10/22

Principal Secretary,
Energy Department,
Bihar, Patna.